11-7-25

न्यामत वगै बनाम जगदीश वगै

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषकगणों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आवंटन दिनांक 21–05–1987 का है जो कि उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा किया गया है। उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी बीकानेर द्वारा डेलिगेटेड पावर के तहत नियम 24 उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के तहत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को उक्त आवंटन की शक्तियां राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित की गई थी। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा किया गया अपीलाधीन आवंटन राज्य सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। इसलिए मूल आदेश राज्य सरकार का ही माना जायेगा। जहां राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत आवंटन किया गया हो वहां आवंटन को चुनौती राज्य सरकार अथवा उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत की जा सकती है। लिहाजा उक्त आवंटन के विरूद्ध सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही होने के कारण प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–04–2024 प्रस्तुत किया।

अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि उपनिवेशन अधिनियम में यह उपबंधित किया गया है कि जहां आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रस्तुत होगी। अपीलांट द्वारा भी उक्त अपील धारा 23 उपनिवेशन अधिनियम 1975 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये है वो संबंधित अपील पर लागू नहीं होने से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत माननीय मण्डल के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 21–05–1987 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आंवटन अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित के रूप में आवंटन किया गया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना एवं नियमों की प्रति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आवंटन राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना कमांक एफ3(8)रेव/कोलो/81 दिनांक 23–11–1985 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवंटन किया गया है एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित निगरानी संख्या 5297/2013 बउनवानी हरलालराम बनाम बंशीराम निर्णय दिनांक 12–04–2024 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के दिशानिर्देशानुसार एमएफएफआर में आवंटित भूमि के विरूद्ध चाराजोई करने पर राज्य सरकार अथवा उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आवंटन खारिज किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। अपीलांट अगर अपीलाधीन आदेश से व्यथित है तो उसकी चाराजोई सक्षम न्यायालय में करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर